भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA

नई दिल्ली -110001 (भारत)

NEW DELHI – 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/36/2024-2025 **05 नवम्बर, 2024**

सेवा में,

श्री धर्मबीर धनखड़ पुत्र श्री रण सिंह
निवासी गाँव खुबड़ू, तहसील-गन्नौर
जिला-सोनीपत, हरियाणा

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 21.10.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 25.10.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10/- रूपये का पो०आ०सं० 66F 924722 संलग्न कर, अपने आवेदन की जानकारी हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि **आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है।** इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI – 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/36/2024-2025 **05 नवम्बर, 2024**

सेवा में,

श्री धर्मबीर धनखड़ पुत्र श्री रण सिंह
निवासी गाँव खुबड़ू, तहसील-गन्नौर
जिला-सोनीपत, हरियाणा

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 21.10.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 25.10.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10 /- रूपये का पो.आ.सं. 66F 924722 संलग्न कर, अपने आवेदन की जानकारी हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि **आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है।** इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

RTI → 36
VPSEC/R/P/24/00065

सेवा मे,

श्री जगदीप धनखड
उपराष्ट्रपति जी,
भारत सरकार ।

विषयः **दरखास्त बराए करवाए जाने माफ रकम लोन पी.सी.ए.आर.डी.एफ बैकं गन्नौर जिला सोनीपत व दिलवाए जाने 6 मशरूम शेड जलने और 20 एकड धान की पराली का मुआवजा बाबत प्रार्थना पत्र।**

Vice President's Secretariat
Dy. No..........
Date..........
New Delhi

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मै धर्मबीर धनखड पुत्र श्री रण सिंह धनखड पुत्र रूपचंद धनखड निवासी गांव खुबडू तहसील गन्नौर जिला सोनीपत का रहने वाला हूँ और पेशे से किसान हूँ और खेती बाडी का काम करके अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ। और कानून मे विश्वास रखने वाला और कानून की पालन करने वाला व्यक्ति हूँ और वरिष्ट नागरिक की श्रेणी मे आता हूँ।

1. यह कि मैने दिनांक 20.01.2014 मे पी.सी.ए.आर.डी.एफ बैकं गन्नौर जिला सोनीपत से 5 लाख रूप्ये का लोन मशरूम की खेती करने के लिये लिया था। जो बाद मे उपरोक्त बैक द्वारा मुझे केवल 4 लाख 70 हजार रूप्ये का लोन पास करके मेरे खाते मे डाल दिये थे। तथा 30 हजार रूप्ये बैंक वालो ने अपने पास रख लिये थे । जो इसके बाद मेरे द्वारा उपरोक्त बैंक में दो बार 50–50 हजार टोटल 1 लाख रूप्ये दिंनाक 26.06.2015 को जमा करवाए जा चुके है।
2. यह कि इसके बाद दिनांक 23.02.2014 को कुछ अनजान व्यक्ति जिसका मुझे नाम व पता ना मालूम है उन्होने मेरे मशरूम के 6 शेडों मे आग लगा दी जिस कारण मेरे पुरे के पुरे 6 शेड जलकर

25/10/24

राख हो गए थे और साथ ही 20 एकड धान की पराली भी जला दी गई । पराली जलाने के कारण मेरा लगभग 11 लाख 50 हजार रूप्ये का नुकसान हो गया । जिस बाबत मैने पुलिस चौकी खुबडू को दिंनाक 24.02.2024 शिकायत दी थी लेकिन मेरी शिकायत पर पुलिस चौकी खुबडू द्वारा आज तक कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई जिस कारण मै आज भी परेशान होकर दरखास्त आपके समक्ष लगा रहा हूॅ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सी0 एम0 विडो0 पर भी मैने दिंनाक 27.06.2024 को काननूी कार्यवाही हेतू लगाई थी जिस पर भी आज तक मेरी दरखास्त पर कार्यवाही नही सकी जिसके कारण मै बहुत परेशान रहता हूॅ। अब आपके समक्ष कार्यवाही हेतू दरखास्त लगा रहा हूॅ ताकि मेरे को न्याय मिल सके।

3. यह है कि उपरोक्त बैक द्वारा जो मैने लोन लिया था उसमे मेरे बैक द्वारा 33 हजार रूप्ये काटे गए तब मैने पूछा तो बैक वालो ने इशेयरेस के पैसे काटे है जब मेरी भूमि मे आग लगी तो मै पूछने गया तो मेरे को बैक वालो ने बताया की आपके हिस्से के पैसे काटे हैं मेरे को लोन देते समय कुछ बोला और अब और कुछ बताया रहे जिसके कारण मुझे परेशान किया जा रहा है।
4. यह कि उपरोक्त मशरूम के 6 शेड जलने व 20 एकड धान की पराली जलने के कारण मेरा लगभग 11 लाख 50 हजार रूप्ये का नुकसान हो गया और मै कही पर भी शिकायत देता हूॅ तो मेरी शिकायत पर भी कोई कार्यवाही नही की जाती अब आप ही मेरी शिकायत पर कार्यवाही करके मुझे न्याय दिला सकते हो मेरे को न्याय दिलाने की कृपा करे आपकी बडी मेहरबानी होगी।
5. यह है कि एक शिकायत दिनांक 30.11.2023 को उपायुक्त महोदय को दी थी जिसका डायरी नबंर 1665/FRA है जिस पर आज

तक कोई कार्यवाही नही हुई और अब मेरे परिवार के भुखे मरने की नौबत आ चुकी है । और मै शारीरिक रूप से बीमार रहता हूॅ।

6. यह है कि मैने कई बार कानूनी कार्यवाही हेतू और न्याय की मांग को लेकर दरखास्त लगा चुका हूॅ लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नही हुई अब आपके समक्ष कार्यवाही हेतू दरखास्त लगा रहा हूॅ ताकि मुझे न्याय मिले और अपने परिवार का गुजर बसंर कर संकू।

अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरा लोन माफ किया जाए और जो मेरी भूमि मे आग लगने के कारण जो नुकसान हुआ है उसका मुझे मुआवजा दिलाया जाए मै एक गरीब किसान हूॅ मेरे पास इनकम का और कोई साधन नही है मेरे को न्याय दिलाया जाए जिससे मेरी हकरसी हो सके आपकी बडी मेहरबानी होगी ।

धन्यवाद ।

दिनांकः 21 / 10 / 2024

धर्मबीर

प्रार्थी

धर्मबीर धनखड पुत्र श्री रण सिंह धनखड पुत्र रूपचंद धनखड निवासी गांव खुबडू तहसील गन्नौर जिला सोनीपत

मो0 9050189240